

## (12) रेख्रीय मापक उपकरण :

ऑटो रिक्शा / टैक्सी मीटर

रु. 100/-

अन्य मीटर

रु. 50 पहले 1 किमी या उसके  
भाग के लिए और रु. 5/-  
प्रत्येक अतिरिक्त 100 मीटर या

उसके भाग के लिए

## (13) डाक्टरी थर्मामीटर :

रु. 5.00 / थर्मामीटर

## (14) पानी का मीटर :

रु. 25.00

## (15) प्याला मापनी :

30 मिली ली रु. 50.00

60 मिली ली रु. 50.00

100 मिली ली रु. 50.00

## (16) सीएनजी आटो फ्यूल पम्प तथा एल

रु.1000.00

पी जी डिस्पेंसर मोटर यान के लिए : (प्रति इकाई)

## (17) काउंटर मशीन्स :

(एक) 10 किग्रा क्षमता तक :

रु. 20.00

(दो) 10 किग्रा क्षमता से अधिक :

रु. 50.00

## (18) रक्त चाप मापक यंत्र :

रु. 50.00

## (19) स्टोरेज टैंक्स एवं वाट्स : 25000 लीटर तक के लिये रु. 5000.00

25000 लीटर से अधिक के लिये रु. 25000.00

**अनुसूची-नौ**  
**(नियम 22 (1) देखिये)**  
**अपील का प्ररूप**

विधिक मापविज्ञान अधिकारी / नियंत्रक विधिक मापविज्ञान के आदेश के विरुद्ध अपील के  
लिए प्ररूप :-

1. अपीलार्थी का नाम और पता .....
2. विधिक मापविज्ञान अधिकारी / नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान के आदेश का क्रमांक तथा तारीख जिसके विरुद्ध अपील की गई है।
3. क्या अपीलार्थी यह चाहता है कि उसे स्वयं सुना जाए या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उसे सुना जाए .....
4. अपील के आधार .....